सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/61 दर्ज तिथिः— 18.06.2025

1. सुमेर पत्नी स्व. जगवीरसिंह जाति जाट निवासिनी तहसील व जिला चूरू
2. अजय पुत्र स्व. जगवीरसिंह जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील चूरू जिला चूरू
3. रोहिताश पुत्र स्व. तिलोकचंद जाति जाट निवासी सिरसली तहसील चूरू जिला चूरू

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. पतासी पत्नी स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील चूरू जिला चूरू
2. कमलेश पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील व जिला चूरू
3. विकास पुत्र स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील व जिला चूरू
4. कौसल्या पुत्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील चूरू जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— सुरेन्द्र डुडी
अप्रार्थीः— शिवगौतम
प्रार्थना—पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि उपरोक्त अनवानी दावा प्रार्थीगण की ओर से समस्त तथ्यों एवं कथनों का उल्लेख करते हुए श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी—पूरी आशा है।

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 एक ही परिवार खानदान के है जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार से पेश हैः'—

स्व. चूनाराम

तिलोकचन्द (पुत्र) फौत — महेन्द्रसिंह (पुत्र)फौत

रोहिताश पुत्र — जगवीरसिंह (पुत्र) फौत — सुमेर — कमलेश — कौसल्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:49 IST
Reason: SelfAttested

सुमेर वगैरह बनाम पतासी आदि
2025 / 61
निर्णय दिनांकः–09.04.2026

यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 459 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 467 तादादी 1.9728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472 तादादी 7.3855 हैक्टेयर खसरा नम्बर 868 / 457 तादादी 0.5294 हैक्टेयर कुल कित 04 कुल तादादी 10.3682 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी कब्जा कास्त व स्वामित्व की भूमि है। जिसमें मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के प्रार्थीनी संख्या 01 का 1 / 8 हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 का 1 / 87 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का 1 / 4 हिस्सा अप्रार्थीनी सं. 01 का 1 / 8 हिस्सा, अप्रार्थीनी संख्या 02 का 1 / 8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 03 का 1 / 8 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 04 का 1 / 8 हिस्सा है। यही वादगत कृषि भूमि है। यह कि वादगत कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 ता 04 के मध्य पूर्वज स्व. चुनाराम के जीवनकाल में ही बाहमी बंटवारा किया गया था– मुताबिक बाहमी बंटवारा के सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमियों का पूर्वी तरफ का हिस्सा प्रार्थीगण (17:41, 4 / 23 / 2026) टप्श्रम्छक्त।ै प्छळभ्‍ के हक हिस्सा व पंथी में आया तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा व पंथी में आया इसी बाहगी मंतवारा के हिसाब से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 काबिज होकर कास्त करते आये है कृषि भूमि ख.नं. 472 मे से पूर्वी तरफ हिस्सा पंथी आई भूमि पर प्रार्थीगण ने एक ढारा भी बना रखा है।यह कि कालांतर में वादगत कृषि भूमि मे से उतरी तरफ दुधवाखारा रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ रेलवे लाइन के ऊपर बने पुल के पास से होकर लोहसना बड़ा के जाने वाली सड़क बन जाने से सड़क पर आई भूमि की कीमत बढ़ जाने से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के मन में बेईमानी आ गई है और वोह सड़क पर आई सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर प्रार्थीगण को पिछे धकेलना चाहते है वादगत कृषि भूमि का विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं होने के कारण से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 प्रार्थीगण के साथ सीवो को लेकर भूमि की अच्छी बुरी किस्म को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है कभी कभी तो मारपीट होने तक की नौबत आ जाती है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 प्रार्थीगण के हिस्सा पंथि में आई भूमि पर कब्जा करने की मंशा से निर्माण करने की फिराक में है राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सा के आधार पर वादगत कृषि भूमि में आये प्रार्थीगण के हिस्से को अपना हिस्सा बता कर किसी भू–माफियो का कब्जा करवा सकते है प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकिया भी दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण के लिए जरूरी हो गया है कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि मे से आये अपने हिस्से की रक्षा व सुरक्षा हेतु विधिवत रूप से बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे व वादगत कृषि भूमि का हिसाब बाहमी बंटवारा के हिसाब से कब्जा कास्त के व हिसाब बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मे वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा कर अपना अलग खाता कायम करवाये इस हेतु वाद प्रार्थीगण पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 के पूर्वज चुनाराम के समय से वादगत भूमि का बाहमी बंटवारा होकर मुताबिक बाहमी बंटवारा होकर मुताबिक बाहमी बंटवारा के प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा व पांति में आई भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में वर्षो से चली आ रही भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण के द्वारा दखल देने से राजस्व रिकॉर्ड [illegible] काश्त में वर्षो से चली आ रही भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण के द्वारा दखल देने से [illegible] में अंकित हिस्सा का आधार पर किसी अनजान व भू माफियो को [illegible] करवा देगे से तथा प्रार्थीगण के हिस्सा पर जबरन कोई पुख्ता [illegible] को कभी पूरा न होने वाला नुकसान हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:49 IST
Reason: SelfAttested

जायेगा तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो जायेगी तथा बेवजह परेशानियो का समाना करना पड़ेगा ऐसी सूरत में अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का संन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बखुबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर ता फैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमावे कि अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 459 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, ख.नं0 467 तादादी 1. 9728 हैक्टेयर खसरा नम्बर 472 तादादी 7.3855 हैक्टैयर खसरा नम्बर 868 / 457 तादादी 0.529 हैक्टेयर रौही मौजा सिरसली तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण के वर्षों पूर्व बाहमी बंटवारा में हक हिस्सा में आई भूमि में कोई दखल नही देवे, न कोई निर्माण कार्य करें। न किसी अनजान, भू माफियो को बैय, दान, वसियत रहन आदि करे मौका की व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें आपकी अति कृपा होगी।

2.प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की ओर से अधिवक्ता गोपीराम ने उपस्थित होकर वकालतनामा दावा में पेश किया व अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 जिस प्रकार से लिखी गई है सही नहीं होने से स्वेच्छा की जाती है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 हमारे परिवार के कुर्सीनामा से संबंधित है। यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 03 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में प्रार्थी व अप्रार्थी के दादा ने उक्त कृषि भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया था जिसके आधार पर हम अप्रार्थीगण का रास्ते की भूमि पर बटवारानामा होने से आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं जिसके सम्बन्ध में मूल फोटो पेश की है जिसमें सड़क पर मेरा हिस्सा व मेरे पीछे प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व हिस्सा काफी वर्षों से चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा लालच लोभ में आकर पीछे बने मकानात को तोड़ फोड़ करके मलबा आदि को एक तरफ कर दिया है और अपने कुण्ड के पास गिरा दिया है जिसका फोटो जबाब प्रार्थना पत्र के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में दर्ज तव्य जिस प्रकार से लिखे गए हैं अस्वीकार किए जाते हैं क्योंकि हमारे दादा चूनाराम ने मौखिक भाई बटवारा करक कृषि भूमि हमें मौके के अनुरूप सौंप दी थी। हमारे हिस्से में आई कृषि भूमि अनुपजाऊ और सड़क पर थी जिस करण आवारा पशुओं के आतंक के चलते उक्त हिस्सा हमें दे दिया था जिसे मेरे पिता ने उक्त भूमि को सुधार करके समतल करवाकर काफी वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं जिस संबंधी उक्त भूमि पर हमारा निर्बाध रूप से कब्जा काश्त बला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता व दादा द्वारा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के भाई बंटवारे में आई थी उसके चारों तरफ बाड़ बंदी कर रखी है जो फोटो में स्पष्ट अंकित है जो उपजाऊ व बढ़िया किस्म की कृषि भूमि है। पार्थीगण लालच लोभ में आकर मेरे हिस्से में आई सड़क की कृषि भूमि को हड़पने की चेष्टा से यह दावा किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है और ... के पिता व दादा ने अपनी कृषि भूमि में अपनी मकानात व कुण्ड बना रखे हैं। प्रमाण स्वरूप हम अप्रार्थीगण द्वारा फोटो आदि पेश की है एवं प्रार्थीगण सुमेर आदि द्वारा अपने ... में ... की हुई है जो मौके पर आज भी मौजूद है तथा प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र में अनुमान ... है वह पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:49 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार से लड़ई झगड़ा आदि होने की कोई सम्भावना कतई नहीं है एवं पटवारी हल्के से मौका रिपोर्ट मांगवाने से यह स्पष्ट हो सकता है कि सड़क की भूमि पर हम अणार्थीगण का ही कब्जा काश्त है ना ही प्रार्थीगण का इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को इसी चरण पर खारिज फरमाया जावे।

विशेष कथन

यह कि हमारे दादा चूनाराम ने उक्त मौखिक भाई बंटवारा करके कृषि भूमि हमें सौंपी दी जो हमारे हिस्से में आई कृषि भूमि अनुपजाऊ और सड़क पर थी जिस कारण अवारा पशुओं के आतंक के चलते उक्त हिस्सा दे दिया था जिस पर मेरे पिता ने उक्त भूमि को सुधार करके समतल करवाकर काफी वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं जिस जिस बाबत उक्त भूमि पर हमारा निर्वाध रूप से कब्जा करत बला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता व दादा द्वारा उक्त कृषि भूमि मेरे पीछे भाई बटवारे में आई थी उसके चारों तरफ बाढ़ बंदी कर रखी है जो कि मूल फोटों में स्पष्ट अकित है जो उपजाऊ व बढ़िया किस्मों की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण लालब लोभ में आकर मेरे हिस्से में आई सड़क की कृषि भूमि को हड़पने की कूचेष्टा से यह दावा किया है। यह कि कृषि भूमि खसरा नंबर 459, 467, 472, 468/457 तादादी 10.3682 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू में प्राथी के पिता व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी संख्या 01 ता 4 की ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू स्थित सम्पूर्ण कृषि भूमि में हिस्सा में से 1/2 अर्थात 5.1841 हैक्टेयर हिस्सा जमीन की है जो कि 5.1841 हैक्टेयर कृषि भूमि बनती है के मुताविक सड़क की भूमि पर हमारा मौके का काश्त के अनुसार एवं उक्त कृषि भूमि पर मेरे द्वारा की गई तारबंदी के अनुसार विभाजन कर मेरा खाता व लगान अलग कायम किया जावे। यह कि उक्त कृषि भूमि सभी सह खातेदारों ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार आमदनी में बाहमी बंटवारा कर मौके पर हमारे द्वारा तारबंदी की हुई है जिसके अनुसार खाता विभाजन कर खाता व लगान अलग अलग कामाय किया जाए। इसलिए यह काऊंटर कलेम माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार सुसंगत होने के कारण उचित न्यायालय शुल्क पर आनंदर मियाद प्रस्तुत है।अतः लिखित कथन व जवाबदावा जय काऊण्टर कटेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से 1/2 अर्थात् 5.1841 हैक्टेयर हिस्सा पांती की है जो कि 5.1841 हैक्टेयर का खाता अलग से बंटवारा किया जाकर मुझ अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन किया जावे।

3. जवाब प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मान्यवर वर्षों से स्थापित कब्जे में हस्तक्षेप को रोकना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जवाब में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मान्यवर वास्तविक कब्जा हमारे पास है और प्रार्थीगण केवल भूमि मूल्य बढ़ने के कारण झूठा दावा कर रहे हैं, अतः वाद खारिज किया जाए।

4. उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की है। दोनों पक्षों द्वारा मौखिक बंटवारे का दावा किया गया है परंतु बंटवारा राजस्व रि[illegible]स्थिति विवादित है प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे का दावा किया गया है, वहीं अप्रार्थी[illegible]पने कब्जे के समर्थन में फोटो एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अतः इस [illegible] निर्धारण संभव नहीं है। किन्तु यह स्पष्ट है कि भूमि का विधिव[illegible] है सह–खातेदारों के मध्य विवाद विद्यमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:49 IST
Reason: SelfAttested

है ऐसी स्थिति में यदि किसी पक्ष द्वारा निर्माण किया जाता है या भूमि की प्रकृति/स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे विवाद और जटिल होगा तथा अपूरणीय क्षति की संभावना बनी रहती है। अतः न्यायालय की दृष्टि में प्रथम दृष्टया मामला विचारणीय है सुविधा का संतुलन यथास्थिति बनाए रखने में है अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आदेश है कि

अतः, उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेशित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 459, 467, 472, 868/457 स्थित रोही मौजा सिरसली, तहसील व जिला चूरू के संबंध में दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। कोई भी पक्ष भूमि पर नया निर्माण नहीं करेगा भूमि का विक्रय, दान, रहन आदि नहीं करेगा तथा ना ही भूमि की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगा।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:49 IST
Reason: SelfAttested